



युवा वर्ग एवं ग्रामीण अपराध

अनिता कुमारी

एम0 ए0, पी-एच0 डी0, समाजशास्त्रा, ग्राम – भातु बिगहा, पो0 – एकंगरसराय, नालंदा (बिहार), भारत

Received- 07.08.2020, Revised- 12.08.2020, Accepted - 15.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : आज के युग में जब भारतीय ग्रामीण समाज विघटित हो चला है, उसके सभी पुरातन सामाजिक मूल्यों को एक गहरा धक्का लगा है। इस अवस्था में पुरानी बात दोहराना कि नगरों में अपराध अधिक होते हैं और गाँवों में कम, बड़ा विकट प्रश्न है। नगरों में प्रायः सभी अपराधों को पुलिस तथा कचहरी के समक्ष लाया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे अपराधों को ग्राम पंचायतों द्वारा निबटा दिया जाता है। परन्तु इस विषय के लिए हम लोगों को अपराध सूची (Crime index) पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो पुलिस द्वारा बनाई जाती है।

कुंजीभूत शब्द— भारतीय ग्रामीण समाज, विघटित, पुरातन सामाजिक, अवस्था, अपराध, कचहरी, समक्ष ।

आज के युग में यातायात के साधनों का इतना विकास हो रहा है कि गाँवों का जीवन नगरों के प्रभाव से जब वंचित नहीं रह पाया है। नगर और गाँवों के जीवनयापन की विधियों में अधिक अन्तर नहीं है। इस अवस्था में अपराध की दरों में भी कोई अधिक अन्तर नहीं पाया जाता है। ब्रूस स्मिथ (Bruce Smith) के कथनानुसार “यातायात के नये साधनों ने नगर की सड़कों के व्यस्त जीवन को गाँवों तथा पहुँचा दिया है। खेत के मकानों और खड़ी हुई फसलों को आग लगा कर नष्ट कर देना अब बहुत सामान्य बात हो गई है। सड़क के किनारे बने हुए मकान के पास से गुजरते हुए मोटर वालों को एक या दूसरे प्रकार का व्यापारिक दुराचार प्रदान करते हैं और शहर के डाकू गाँवों में शरण लेते हैं।”

गाँवों में व्यक्ति-विरुद्ध अपराध (Crime against person) नगरों से अधिक होते हैं। जार्ज वोल्ड (George Vold) ने यह पता लगाया कि हत्या (Murder) और गम्भीर यौन-सम्बन्धी अपराधों में मिनेसोटा (Minnesota) के नगरों और गाँवों में कोई अन्तर नहीं था, परन्तु अपराधों की दर नगरों में बहुत अधिक थी। पिफर 1945 में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि गाँवों में विशेषतः सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध बढ़ गये और गाँवों में सेंध लगाने का अपराध 6.8 प्रतिशत बढ़ गया तथा नगरों में 1.3 प्रतिशत कम हो गया।

ग्रामीण अपराध (Rural Crime)- ग्रामीण अपराधों का लेखा-जोखा विशेष रूप से कम होता है, जबकि नगरों के मामूली अपराधों को भी ध्यान में रखा जाता है। ग्रामीण अवस्था का पूरा-पूरा ज्ञान शासक वर्ग को भी कम रहता है, क्योंकि उनका सम्बन्ध नगरों से ही अधिक होता है। ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन में एक मिश्रित विचार आता है। आज के गाँव, गाँव नहीं रह गये, वरन् वे

आधुनिक यातायात के साधनों और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण नगरों के उपवास बन गये हैं और उनका पुराना अस्तित्व खो गया है। ग्रामीण युवकों में गतिशीलता आ गई है। वे दैनिक रूप से बाहर आते जाते हैं और उनका सम्बन्ध नगरों में अधिक हो गया है। गाँवों में जहाँ पुलिस से बचकर शराब बनाई जा सकती है, जुआ खेला जा सकता है तथा अनेक प्रकार की मद्यपान की वस्तुओं को छिपाकर रखा जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है, मद्यपान और जुआबाजी, यौन-अपराध और व्यक्ति-सम्बन्धी अपराध अधिक होते हैं। परन्तु गाँवों के अपराध की दर सामान्य रूप से कम मानी जाती है और वास्तव में कम है भी। ग्रामीण अवस्थाओं के अवलोकन करने वालों का कथन है कि ग्रामीण मजदूरों में अपराध की दर बहुत कम होती है और नगरों के मजदूर अधिक अपराध करते हैं क्योंकि उनको ऐसे अपराध करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। मकान और खेत में आग लगाना, पशुओं की चोरी, भूमि-सम्बन्धी अनेक अपराध मुख्यतः ग्रामीण अपराध माने जाते हैं।

ग्रामीण समाज, गरीब तथा कम पूंजीवाला समुदाय होने पर अपराध कम करता है, क्योंकि वहाँ के निवासियों में आर्थिक विषमता कम होती है। इसी कारण आर्थिक स्पर्ध (Competition) और अधिक धनी बनने की इच्छा कम होती है। ग्रामीण परिवार अत्यधिक स्थिर होता है। उसका नियंत्रण उसके सदस्यों पर अधिक होता है। जनसंख्या भी कम तथा एक ही संस्कृति और रीति-रिवाज की अनुयायी होती है। ग्रामीण में गतिशीलता कम होती है। इन सब कारणों से गाँवों में अपराध की संख्या बहुत कम पायी जाती है। इस सदर्म में प्रोफेसर वोल्ड (Prof. Vold) के दृष्टिकोण को जानना उपयुक्त होगा : “परम्परागत



ग्रामीण संस्कृति, अपराध रोकने का एक साधन है। गाँव में काम करना, पारिवारिक स्थिरता, और भूमि को गरीबी के विरुद्ध एक ढीमे के रूप में और पद की द्योतक के रूप में देखा जाना, आदर पाना, सुख की खोज और श्रमहीन जीवन को घृणा की दृष्टि से देखना—ये सब परम्परागत ग्रामीण जीवन की विशेषताएँ हैं। इतना व्यक्ति के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि वह समुदाय के नियमों और नियंत्रणों के अनुरूप ही कार्य करने लगता है।”

ग्रामीण दशाओं के अध्ययन से पता चला है कि अपराध उन स्थानों में अधिक होता है जो व्यापार के केन्द्र हैं और ज्यों-ज्यों व्यक्ति केन्द्र के परिधि की तरफ बढ़ता है अपराध की दर में भी कमी होती है। उन स्थानों में जहाँ अनेक संस्कृतियों के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं अपराध अधिक होता है। औद्योगिक उपवास, शहरों के छोर पर बसे हुए केन्द्र, गर्मियों के आनन्दवास के स्थान (Summer resort) तथा खानों के निकट की बस्ती में जहाँ सामाजिक नियंत्रण बहुत कम और कमजोर समाज के संगठन पर प्रभाव डाला है और उसके सदस्यों में गतिशीलता आ जाने के कारण इसने अपराध को प्रोत्साहित भी किया है।

ग्रामीण अपराधियों की संख्या से पता चलता है कि उनमें से उनकी संख्या अधिक है जो सामाजिक बन्धनों से मुक्त हैं और ऐसे व्यवसाय में व्यस्त हैं जिसका सम्बन्ध पारिवारिक नियंत्रण से बहुत कम है।

निर्धनता और गरीबी का भी सम्बन्ध स्थापित किया गया है। विचारकों का मत है कि गरीबी अपराध के कारणों में मुख्य है। परन्तु ग्रामीण अपराधी नगर का अपराधियों के सदस्य-समूह में काम नहीं करते तथा अपराध करने के आधुनिक और निश्चित ढंग से (Criminal pattern) को नहीं अपनाते। गाँवों में ऐसे अपराध किए जाते हैं जिसे नागरिक अपराधी करना पसन्द नहीं करते। केवल Cavan के अनुसार “ग्रामीण अपराधी अपने को अपराधी नहीं समझते हैं, बल्कि पुरानी, परम्परागत समुदायों के ऐसे सदस्य समझते हैं जिन्होंने निर्णय करने में हलकी गलती की है।”

ग्रामीण अपराधियों के पेशेवर (Professional) अपराधी बनने की सम्भावना कम होती है क्योंकि पेशेवर अपराधी वही बन सकता है जो अज्ञात (Anonymous) रह सके और यह छोटे से समुदाय में सम्भव नहीं हो सकता। पेशेवर अपराधी वह बन जाते हैं, जिनका लगाव नगरों से

अधिक हो जाता है और वे केवल छिपने के लिए गाँवों में जाते हैं। भारतीय ग्रामीण अवस्था में यौन सम्बन्धी अपराध अधिक पाये जाते हैं। गाँवों में जहाँ धनी और लठधारी जमींदारों का प्रभाव है, वहाँ गरीब तथा मजदूर औरतों को प्रलोभन देकर उनके साथ यौन अपराध किया जाता है और इनको लेकर अनेक गम्भीर अपराध होते हैं।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जमींदारों के पास कोई व्यवस्था न होने के कारण भी अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। डाका डालना और लूटना उनका कार्य रह गया है। गाँवों में छोटी-सी जमीन या पेड़ के लिए मार-पीट हो जाती है। ग्रामीण महाजनों (Money-lenders) द्वारा अत्याचार भी अपराध का कारण है। महाजन अनपढ़ ग्रामीण को अपने पंजों में फांस रखता है और उन पर से सूद को कभी उतरने नहीं देता। जब ग्रामीण उसके कर्ज से थक जाता है तो अनेक प्रकार के अपराध कर बैठता है।

गाँवों में शिशु हत्या (Infanticide) खेतों में चोरी से आग लगाना, जानवरों की चोरी, यौन अपराध, मारपीट तथा झगड़ा, देशी शराब और अन्य नशीली वस्तुओं को अवैधनिक रूप से रखना और प्रयोग में लाना आदि प्रकार के अपराध भी किए जाते हैं। पुलिस की अनुपस्थिति के कारण डाका काण्ड गाँवों में ही अधिक होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के गाँवों के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर डाके गाँवों में ही पड़े हैं। इसका मुख्य कारण जमींदारों में उचित कारोबार की कमी है। जमींदार, जो सदा से एक शासक की भाँति बिना मेहनत और परिश्रम के रहने और आराम करने के अभ्यस्त हो गये थे, जमींदारों छिन जाने के पश्चात् बेकार हो गए। गाँवों में अब सरकार द्वारा अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। गाँवों के सभी सामाजिक संगठनों में परिवर्तन हुआ है। जाति प्रथा जाति पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर नई प्रकार की संस्थाएँ स्थापित की गई हैं जिनके कारण ग्रामीण समाज विघटित हो चला है, और संगठन के द्वार पर आने तक अपराधी अवस्था से गुजर रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जीतकृष्ण सिंह : सामाजिक विघटन प्रकाशन केन्द्र, न्यू विल्डिंग्स, अमीनाबाद, लखनऊ, 1969.
2. डॉ० जी० के० अग्रवाल : सामाजिक विघटन एस० बी० पी० डी० पब्लिकेशन्स, आगरा, 2009.
